पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची लिपिक वर्गीय/2022-23// 54 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 10 अप्रैल, 2023

-:: आदेश ::-

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-01-2023 के क्रम में राज्य कर विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20-03-2023 में पूर्व में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर संविलयनकरण नियमावली-2022 तथा उस पर शासन द्वारा दिनांक 28-11-2022 को प्रेषित मार्गदर्शन के आलोक में विचार किया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या-4257 दिनांक-29-12-2022 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पर पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कतिपय कार्मिकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत आपत्तियों पर समिति द्वारा नियमानुसार विचार कर निम्नानुसार निस्तारण किया गया।

आपत्ति	निस्तारण
बिन्दु संख्या-01 शासन की अधिसूचना दिनांक 24-04-2018 द्वारा मनोरंजन कर विभाग के कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों (आमोद और पणकर निरीक्षक को छोड़कर) को वाणिज्य कर विभाग में संविलियन किया गया था। मनोरंजन कर विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु अधिसूचना संख्या-946/11-3-2022-103/2017टी0सी0, दिनांक 21-07-2022 द्वारा मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों (अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों) के सेवा संवर्गों का वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित सेवा संवर्गों में संविलियनकरण नियमावली-2022 प्रख्यापित की गयी है। जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में वर्णित नियमावली के बिन्दु संख्या-3 एवं प्रस्तर-4(3)(1) व प्रस्तर-4(3)(2) व मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने सम्बन्धी शासन के पत्र दिनांक 28-11-2022 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के आधार पर उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी किये जाने का उल्लेख है। वर्णित नियमावली के बिन्दु-3(3) में मौलिक नियुक्ति का दिनांक परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:- ''मौलिक नियुक्ति का दिनांक'' का तात्पर्य अधिसूचना दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को धारित पद पर नियुक्ति के दिनांक से है। वर्णित नियमावली के नियम-4 में संविलयन हेतु ज्येष्ठता / सेवा की पात्रता का अवधारण सम्बन्धी प्राविधान दिये गये है। उक्त नियम-4(3)(1) में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु निम्नवत् प्राविधान विहित है:- ''मनोरंजन कर विभाग के सेवा संवर्गों के कर्मचारी संविलयन के दिनांक को धारित संवर्ग (सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा) में मौलिक नियुक्ति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित सेवा संवर्ग की	**बिन्दु संख्या-01** शासन के पत्र संख्या-946/11-3-2022-103/2017 टी0सी0 दिनांक 21-07-2022 के माध्यम से मनोरंजन कर विभाग के समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित संवर्गों में संविलयनकरण नियमावली-2022 जारी की गयी है। उक्त जारी की गयी संविलयनकरण नियमावली के बिन्दु संख्या-3 (3) में कहा गया है कि मौलिक नियुक्ति का दिनांक का तात्पर्य अधिसूचना दिनांक 24-04-2018 को धारित पद पर नियुक्ति के दिनांक से है। इस नियमावली के प्रस्तर-4(3)(1) व प्रस्तर-4(3)(2) में मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार दिशा-निर्देश जारी किये गये है:- **प्रस्तर-4(3)(1)** मनोरंजन कर विभाग के सेवा संवर्गो के कर्मचारी संविलयन के दिनांक को धारित संवर्ग (सीधी भर्ती/ पदोन्नति द्वारा) में मौलिक नियुक्ति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किये जायेगें कि मूल संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहे। **प्रस्तर-4(3)(2)** प्रत्येक वर्ष की प्रथम जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून के मध्य मौलिक रुप से नियुक्त वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी को ज्येष्ठ मानते हुये उसी अवधि के मध्य मौलिक रुप से नियुक्त मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारी की ज्येष्ठता विनिश्चित की जायेगी। पूर्व मनोरंजन कर विभाग के समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित संवर्गों में संविलयनकरण नियमावली-2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार कतिपय परिस्थितियों/ समस्याओं के दृष्टिगत पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या-2576 दिनांक 05-09-2022 द्वारा शासन स्तर से मार्गदर्शन चाहा गया। जिस

ज्येष्ठता सूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किये जायेंगे कि मूल संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहे । ''

संविलीन किये गये कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 05-09-2022 के माध्यम से वॉछित मार्गदर्शन के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1299/11-3-2022 दिनांक 28-11-2022 द्वारा निम्नवत् मार्गदर्शन प्रदान किया गया है:-

''संविलयन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 24-04-2018 को धारित पद पर नियुक्ति (सीधी भर्ती / पदोन्नति के माध्यम से) की तिथि को ही मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुये तद्नुसार ही प्रथमत: प्रत्येक पद की समेकित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें ।''

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों एवं शासन द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन दिनांक 28-11-2022 एवं जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 29-12-2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में, नियमावली के नियम-3(3) में परिभाषित मौलिक नियुक्ति का दिनांक एवं शासन के मार्गदर्शन दिनांक 28-11-2022 को ही संज्ञान में लिया गया है जबकि वर्णित नियमावली के उक्त नियम-4(3)(1) को संज्ञान में नहीं लिया गया है, जो कि संविलियन हेतु ज्येष्ठता / सेवा की पात्रता के निर्धारण हेतु आज्ञापक (Mandatory) है।

इसी प्राविधान के अनुसार ही वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है। इस नियम में मनोरंजन कर विभाग के सेवा संवर्गों के कर्मचारी संविलियन के दिनांक को धारित संवर्ग (सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा) में मौलिक नियुक्ति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किये जाने का प्राविधान है कि मूल संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार इस प्राविधान में मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों द्वारा दिनांक 24-04-2018 द्वारा धारित सेवा संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, किन्तु जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची, सेवा संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आधार पर जारी न करके, अपितु धारित पद के आधार पर जारी की गयी है, जो स्पष्टत: वर्णित नियमावली के ज्येष्ठता / सेवा की पात्रता के निर्धारण हेतु उक्त नियम-4(3)(1) में विहित व्यवस्था का उल्लंघन है । अतएव तद्नुसार ज्येष्ठता सूची में नियम-4(3)(1) के अनुसार संशोधन प्रार्थनीय है।

बिन्दु संख्या-02 उपरोक्त कार्मिको द्वारा कहा

पर शासन के पत्र संख्या-1299/11-3-2022 दिनांक 28-11-2022 द्वारा निम्न प्रकार मार्गदर्शन दिया गया है :-

'' संविलियन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 24-04-2018 को धारित पद पर नियुक्ति (सीधी भर्ती/ पदोन्नति के माध्यम से) की तिथि को ही मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए तद्नुसार ही प्रथमत: प्रत्येक पद की समेकित ज्येष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें ।''

शासन के पत्र दिनांक 21-07-2022 तथा पत्र दिनांक 28-11-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है।

बिन्दु संख्या-02 मनोरंजन कर विभाग के

गया है कि मनोरंजन कर विभाग के लिपिक संवर्गीय कार्मिकों एवं वाणिज्य कर विभाग के लिपिक संवर्गीय कार्मिकों के भर्ती हेतु उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली-2014 समान रुप से प्रभावी है। दोनों विभाग के लिपिक संवर्ग की अर्हतायें, भर्ती का स्त्रोत एवं सेवा शर्तें शतप्रतिशत समान है। संविलियन उपरान्त दोनों विभाग के लिपिक वर्गीय कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व भी समान है। दोनों विभागों के लिपिक वर्गीय कार्मिकों की अर्हतायें, भर्ती का स्त्रोत, सेवा शर्तें तथा कार्य एवं दायित्व समान होने के उपरान्त भी मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को लिपिक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति से ज्येष्ठता न प्रदान करके, अपितु संविलियन के दिनांक को धारित पद के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान किया जाना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली-1991 एवं संविधान के अनुच्छेद-14 द्वारा प्रत्याभूत (Guaranteed) विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण (Equality before Law and Equal Protection of the Laws) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद-14 में प्राविधानित है कि "Like should be treated alike".

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि वाणिज्य कर विभाग के लिपिक वर्गीय कार्मिकों एवं मनोरंजन कर विभाग के लिपिक वर्गीय कार्मिकों की अर्हतायें, भर्ती का स्त्रोत, सेवा शर्तें तथा कार्य एवं दायित्व समान है, किन्तु उनकी ज्येष्ठता निर्धारण हेतु अलग-2 मानक अपनाये जा रहे है। अर्थात् मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों के साथ विभेद (Differentiation) किया जा रहा तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण (Reasonable Classification) नहीं किया जा रहा है, जबकि मनोरंजन कर विभाग की लिपिक वर्गीय कार्मिकों को भी वाणिज्य कर विभाग के लिपिक वर्गीय कार्मिकों के समान पोषक संवर्ग (कनिष्ठ सहायक के पद पर) में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान की जानी चाहिये।

बिन्दु संख्या-03 उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 के राज्य कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण हेतु सभी कार्मिकों पर मौलिक रुप से प्रभावी उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 प्रख्यापित की गयी है, जिसके सुसंगत प्राविधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन ही प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की गयी है। उक्त नियमावली-1991 के नियम-8 में व्यवस्था है कि सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ जब पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से नियमावली में उल्लिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन

लिपिक संवर्गीय कार्मिकों एवं वाणिज्य कर विभाग के लिपिक संवर्गीय कार्मिकों के भर्ती हेतु उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली-2014 समान रुप से प्रभावी है तथा दोनों विभाग के लिपिक संवर्ग की अर्हतायें, भर्ती का स्त्रोत एवं सेवा शर्तें शतप्रतिशत समान है। संविलियन उपरान्त दोनों विभाग के लिपिक वर्गीय कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व भी समान है परन्तु दोनों विभागों का संविलयन होने के उपरान्त शासन द्वारा पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को संविलयन अधिसूचना तिथि 24-04-2018 को धारित पद को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता में सम्मिलित करने के निर्देश दिये गये है। शासन के पत्र दिनांक 21-07-2022 तथा पत्र दिनांक 28-11-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ही पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया गया है कि पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहे। अत: दिनांक 29-12-2022 को जारी की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नियमानुसार है।

बिन्दु संख्या-3 ज्येष्ठता नियमावली 1991 में नवनियुक्त कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। संविलयनकृत कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त नियमावली में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। पूर्व में भी वर्ष 1991 में आमेलन नियमावली जारी की गयी थी। आमेलन नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार तत्समय संविलयनकृत कर्मचारियों को संविलयन की तिथि से वाणिज्य कर (व्यापार कर) विभाग के कार्मिको से नीचे अवस्थित किया गया था। वर्तमान में जारी संविलयनकरण नियमावली-2022 के अनुसार संविलयन की तिथि 24-04-2018 को धारित पद के आधार पर पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया

अवधारित की जायेंगी । इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों द्वारा भी कार्मिक की ज्येष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित किये जाने के आदेश पारित किये गये है । मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि ज्येष्ठता का आगणन नियुक्ति की तिथि से किया जायेगा, पदभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं । वाणिज्य कर विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग के लिपिक संवर्ग में मूल पद कनिष्ठ सहायक पर नियुक्ति, सीधी भर्ती एवं चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति द्वारा किये जाने का प्राविधान है । उक्तानुसार दोनों विभागों के लिपिक वर्गीय कार्मिकों पर ज्येष्ठता नियमावली-1991 के एतद्विषयक नियम समान रुप से प्रभावी है । अतएव उनको लिपिक संवर्ग के पोषक पद, कनिष्ठ सहायक के पद पर मौलिक नियुक्ति, के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान किया जाना नियमानुसार एवं मा0उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयज विधियों के अनुसार उचित होगा।	गया है।
बिन्दु संख्या-04 वाणिज्य कर विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग, दोनों में लिपिक संवर्ग के मूल पद कनिष्ठ सहायक, पर सीधी भर्ती एवं चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है । लिपिक संवर्ग के अन्य पद यथा वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकार, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर नियुक्ति शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है । लिपिक संवर्ग में कनिष्ठ सहायक से ऊपर के पद शतप्रतिशत पदोन्नति के पद होने के कारण उक्त पदों पर न तो स्थायीकरण होता है और न ही ज्येष्ठता पुनर्निधारित की जाती है । सुस्थापित विधि के अनुसार किसी संवर्ग में प्रत्येक पद की अलग-2 ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई नियम/शासनादेश नहीं है और न ही मा0 न्यायालय को कोई निर्णय वर्तमान में प्रभावी है । अपितु ज्येष्ठता निर्धारण का मूलभूत एवं एकमात्र आधार सम्बन्धित संवर्ग में पोषक संवर्ग के पद पर मौलिक नियुक्ति है। उक्तानुसार उनको भी कनिष्ठ सहायक के पद पर मौलिक नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत होगा।	**बिन्दु संख्या-04-** लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर की जाती है तथा लिपिक संवर्ग में अन्य पद (वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) पदोन्नति के पद होने के कारण नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार उन्हें वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है । संविलयन नियमावली में दिनांक 24-04-2018 को धारित पद का उल्लेख किया गया है। धारित पद का तात्पर्य दिनांक 24-04-2018 को वह कार्मिक जिस पद पर कार्यरत था वह उसका धारित पद होगा । चूँकि पदोन्नति के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु पदोन्नति आदेश जारी किया जाता है जिसके अनुपालन में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण किया जाता है। अत: पदोन्नति के पद पर पदोन्नति हेतु जारी आदेश की तिथि ही कार्मिक की मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी। संविलयन की तिथि 24-04-2018 को धारित पद तथा प्रस्तर-4(3)(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को वाणिज्य कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है।
बिन्दु संख्या-05 अवगत कराना है कि सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में प्रभावी अधिनियमों / नियमावलियों को किसी भी शासनादेश द्वारा अवक्रमित नहीं किया जा सकता है, अपितु नियमावली में विहित व्यवस्थानुसार ही अग्रिम कार्यवाहियॉ की जाती है। ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा अद्यतन प्राप्त मार्गदर्शन दिनांक 28-11-2022 में उल्लिखित शब्द ''संविलियन सम्बन्धी अधिसूचना की तिथि 24-04-2018 को धारित पद पर	**बिन्दु संख्या-05** संविलयनकरण नियमावली-2022 के प्रस्तर-4(3)(1) में उल्लिखित धारित संवर्ग का तत्पर्य आशुलिपिक, लिपिक, वाहन चालक तथा सेवक संवर्ग से है न कि कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से है। जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 29-12-2022 शासन के पत्र दिनांक 21-07-2022 तथा पत्र दिनांक 28-11-2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी की गयी है।

नियुक्ति (सीधी भर्ती / पदोन्नति के माध्यम से) की तिथि को ही मौलिक नियुक्ति का दिनांक मानते हुए'' एवं संविलियनीकरण नियमावली-2022 के नियम-4(3)(1) में उल्लिखित ''संविलियन की दिनांक को धारित संवर्ग (सीधी भर्ती/ पदोन्नति द्वारा) में मौलिक नियुक्ति के आधार पर'' शब्द में भिन्नता है । उक्तानुसार शासन के पत्र दिनांक 28-11-2022 द्वारा संविलीन कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रदत्त मार्गदर्शन, संविलियनकरण नियमावली-2022 के ज्येष्ठता निर्धारित करने सम्बन्धी नियम-4(3)(1) का विरोधाभासी है । अतएव संविलियनकरण नियमावली-2022 के नियम-4(3)(1) शासन से प्राप्त मार्गदर्शन दिनांक 28-11-2022 पर प्रभावी होगा । अतएव वर्णित नियमावली के नियम-4(3)(1) में विहित प्राविधान के अनुसार ही प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को संशोधित करते हुए मनोरंजन कर विभाग के लिपिक संवर्गीय कार्मिकों को उनकी लिपिक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर ज्येष्ठता प्रदान किया जाना अपेक्षित एवं वॉछनीय है ।	
बिन्दु संख्या-06 किसी कार्मिक की पोषक संवर्ग के पद पर एक बार मौलिक नियुक्ति हो जाने के उपरान्त पुन: उसी संवर्ग के शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने वाले पदोन्नतीय पद पर पदोन्नति उपरान्त अलग-2 मौलिक नियुक्ति नियत किये जाने की कोई को प्राविधान विद्यमान नहीं है । किसी कार्मिक की संवर्ग विशेष में मौलिक नियुक्ति, मात्र उस संवर्ग के पोषक संवर्ग पर की गयी नियुक्ति, से सम्बन्धित नियुक्ति आदेश जारी किये जाने का दिनांक ही होगा । प्रश्नगत प्रकरण में उनका लिपिक संवर्ग के पोषक संवर्ग (कनिष्ठ सहायक के पद) पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की गयी है, जिस पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है । उक्तानुसार उनकी मौलिक नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की तिथि होगी एवं उनकी ज्येष्ठता का निर्धारण मात्र पोषक संवर्ग में की गयी मौलिक नियुक्ति के आधार पर ही नियत की जायेगी, न कि लिपिक संवर्ग में वरिष्ठ सहायक (जो शत प्रतिशत पदोन्नतीय पद है) पर पदोन्नति की तिथि से ।	**बिन्दु संख्या-06** बिन्दु संख्या 04 में की गयी विवेचना के आधार पर पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों का कथन स्वीकार योग्य नहीं है ।
बिन्दु संख्या-07 इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि उनको प्रोन्नति प्राप्त पद पर नियुक्ति के दिनांक के आधार पर भी ज्येष्ठता न प्रदान करते हुए, अपितु जिस चयन वर्ष में उन्हें वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है, उस चयन वर्ष में प्रोन्नति प्राप्त वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ सहायकों से नीचे ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, जो ज्येष्ठता निर्धारण सुस्थापित विधियों के विपरीत है, अपित ज्येष्ठता निर्धारण का आधार सम्बन्धित संवर्ग के पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति है।	**बिन्दु संख्या-07** संविलयनकरण नियमावली-2022 के प्रस्तर-4(3)(2) में व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक वर्ष की प्रथम जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून के मध्य मौलिक रुप से नियुक्त वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी को ज्येष्ठ मानते हुये उसी अवधि के मध्य मौलिक रुप से नियुक्त मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारी की ज्येष्ठता विनिश्चित की जायेगी । संविलयनकरण नियमावली-2022 के प्रस्तर-4(3)(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार ही पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है जो कि

	नियमानुसार है ।
बिन्दु संख्या-08 जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनके पिता का नम, गृह जनपद, कार्यभार ग्रहण तिथि, स्थायीकरण तिथि एवं वर्तमान तैनाती का स्थान रिक्त रखा गया है । अतः सेवा पुस्तिका एवं सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उक्त विवरण अंकित किया जाना उचित होगा ।	**बिन्दु संख्या-08** पूर्व मनोरंजन कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में कर्मचारियों के उक्त विवरण अंकित न होने के कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-4818 दिनांक 02-02-2023 द्वारा समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/सहायक आयुक्त (ए)/आहरण वितरण अधिकारी को पत्र जारी करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची-2022 में पूर्व मनोरंजन कर विभाग के अंकित कार्मिकों (प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक) के सेवा विवरण यथा सेवापुस्तिका, नियुक्ति आदेश तथा स्थायीकरण आदेश की प्रमाणित छायाप्रति प्रत्येक दशा में दिनांक 06-02-2023 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे जिसके अनुक्रम में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ज्येष्ठता सूची में उक्त विवरण अंक्ति कर दिया गया है ।
बिन्दु संख्या-09 कार्यालय आदेश संख्या-605 दिनांक 24-05-2017 द्वारा कतिपय कार्मिकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है । उनके पदोन्नति आदेश के उपरान्त वाणिज्य कर विभाग में आदेश संख्या-4297 दिनांक 27-10-2017 के द्वारा कुल 37 कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर की गयी है । उक्त आदेश के क्रम संख्या-1 से 16 तक के कार्मिकों की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति उनकी पदोन्नति के बाद दिनांक 27-10-2017 में होने के उपरान्त भी उनसे ज्येष्ठ क्रमांक पर रखा गया है जो कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी किये जाने के आधारों के प्रतिकूल है ।	**बिन्दु संख्या-09** जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कार्मिक को उनकी वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दिनांक 24-05-2017 के आधार पर संविलयन नियमावली के नियम 4(3)(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार चयन वर्ष 2016-17 में राज्य कर के कार्मिकों से नीचे अवस्थित किया गया है ।
बिन्दु संख्या-10 प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची में मनोरंजन कर विभाग के प्रथम कर्मचारी के रुप में श्रीमती खालिदा वसीम को क्रमांक-39A पर स्थापित किया गया है, जिनकी सेवा में आने की तिथि 01-12-1981 है, उनके ऊपर क्रमांक-39 पर स्थापित वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी श्री सुबोध कुमार गर्ग की सेवा प्रारम्भ करने की तिथि 20-07-1978 है, जबकि क्रमांक-40 पर अंकित कर्मचारी श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव की सेवा प्रारम्भ करने की तिथि 24-08-1978 है । इस प्रकार श्रीमती खालिदा वसीम को विभाग में नियुक्ति प्रदान किये जाने से पूर्व ही ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना परिलक्षित होता है कि अनन्तिम सूची सरसरी तौर पर, एतद्विषयक नियमों एवं प्राविधानों के विपरीत जारी की गयी है, जिसे नियमानुसार संशोधित किया जाना चाहिए ।	**बिन्दु संख्या-10** संविलयनकरण नियमावली-2022 में धारित पद (ज्येष्ठता निर्धारण हेतु) की कट आफ डेट 24-04-2018 है । अतः दिनांक 24-04-2018 को पूर्व मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों का नाम जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है । श्रीमती खालिदा वसीम दिनांक 24-04-2018 को पूर्व मनोरंजन विभाग की ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक 08 पर वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थी । अतः संविलियन तिथि 24-04-2018 को वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत होने के कारण उन्हें ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है ।
बिन्दु संख्या-11 जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मनोरंजन कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में अंकित कार्मिक जो दिनांक 24-04-2018 को पदोन्नत होकर निरीक्षक / वाणिज्य कर अधिकारी / सेवानिवृत्त एवं आस्मिक निधन हो गया है, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पूर्व में वाणिज्य कर विभाग की आदेश संख्या-	**बिन्दु संख्या-11** जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मनोरंजन कर विभाग की ज्येष्ठता सूची में अंकित कार्मिक जो दिनांक 24-04-2018 के पश्चात् पदोन्नत होकर निरीक्षक / वाणिज्य कर अधिकारी / सेवानिवृत्त एवं आकस्मिक निधन हो गया है, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है क्योंकि उक्त कर्मचारी संविलयन तिथि 24-04-2018 को पूर्व मनोरंजन कर

3473 दिनांक 09-11-2015 द्वारा जारी अंतिम ज्येष्ठता में, अन्य संवर्ग में पदोन्नत / सेवानिवृत्त / आकस्मिक निधन प्राप्त हो चुके कार्मिकों के नाम विलोपित किये गये है । तद्नुसार ही अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पूर्व मनोरंजन कर विभाग के उन कार्मिकों को, जो वर्तमान में अन्य संवर्ग में पदोन्नत / सेवानिवृत्त / आकस्मिक निधन हो चुके है, उनके नाम को विलोपित करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कराने का कष्ट करें ।	विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे।

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी संस्तुति के आधार पर पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन अस्वीकार किया जाता है ।

ह0/
(ओ0पी0वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तरप्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक// उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तरप्रदेश ।
2- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ ।
3- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
6- समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/ सहायक आयुक्त (ए)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ पूर्व मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
7- समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय ।
8- पटल प्रभारी स्था-5(क)/ स्था-6 सामान्य, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय ।

10/04/2023
(दिनेश कुमार वर्मा)
संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।